संख्या-13/2015/1-ई.एम./2011-का-4-2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 05 नवम्बर, 2015

विषय:-सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों/महासंघों आदि के अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्यों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-283/का-4-7-ई.एम.-1981, दिनांक 20.05.1983 में सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों/महासंघों आदि के अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्यों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के प्राविधान किये गये हैं। शासन के संज्ञान में उक्त शासनादेश की प्रभावशीलता का विन्दु लाया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 20.05.1983 वर्तमान में प्रभावी है। सुलभ संदर्भ हेतु शासनादेश दिनांक 20 मई, 1983 की प्रति संलग्न है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-1-ई.एम./2011(1)-का-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in